

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5075] No. 5075] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 26, 2018/पौष 5, 1940

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2018/PAUSHA 5, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6315 (अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि, लोक-हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि, भारतीय खाद्य निगम में लगी हुई ऐसी सेवाएँ जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची के मद 6 (खाद्य पदार्थ) के अधीन समावेशित हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी;

और, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3093 (अ), तारीख 25 जून, 2018 द्वारा अंतिम रूप से, तारीख 27 जून, 2018 से छ: मास तक की कालावधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि, उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना लोकहित में अपेक्षित है ।

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य निगम में लगी हुई सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तारीख 27 दिसम्बर, 2018 से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/5/91-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

7567 GI/2018 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2018

S.O. 6315(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the Food Corporation of India, which is covered under item 6 (Food stuffs) of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 27th June, 2018 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 3093(E), dated the 25th June, 2018;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the Food Coporation of India to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 27th December, 2018.

[File No. S.11017/ 5/91 – IR (PL)] KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.